

2021/1598

प्रपत्र-6

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

प्रशासन गौरी के संग
अभियान - 2021

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

उपर्यक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम खेडराजपुरा की
जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 के खाता संख्या 12
में बेरा गण धरु खाना के स्थान पर वेरु खाना नाम
वेरु खाना का नाम

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी
वेरु

क्र.:- 25/11/21

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.नि.

दयजी,

निवेदन है कि ग्राम खेडराजपुरा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 के
खा संख्या 12 में प्रार्थी का नाम वेरु खाना दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न
पटवारी व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम वेरु खाना है। जो संशोधित किया
गया उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

अ.नि.0

वेरु खाना
वेरु खाना
11/12/2021

पटवारी वेरु
08/12/21

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर
स्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
रिपोर्ट पटवारी वेरु व भू0अ0नि0 वेरु खाना एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर
खेडराजपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 की खाता संख्या 12 में प्रार्थी का
वेरु खाना के बजाय वेरु खाना किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
शाहपुरा(भीलवाड़ा)

क्र.सं 1519/21
13/12/21

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम खेडराजपुरा जमाबन्दी सम्वत् 2075 78 खाता
संख्या 12 में दर्ज प्रार्थी का नाम वेरु खाना के स्थान पर वेरु खाना संशोधन के
आदेश दिये जाते हैं।



प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड शाहपुरा(सी0)
शाहपुरा (भीलवाड़ा)